कार्यालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री पी आर मीना, आर ए एस

अपील संख्या /आरटीए/ 24/2016

अनवान

1. दुर्गा लाल आत्मज श्री बालू जी ढोली आयू 35 वर्ष निवासी बड़ला तह० कोटड़ी जिला भीलवाडा (राज०)
2. सजनी बेवा श्री बालू जी ढ़ोली आयू 35 वर्ष निवासी बडला तह० कोटड़ी जिला भीलवाडा (राज०)

वादी – प्रार्थीगण

बनाम

1. रामेश्वर लाल आत्मज श्री मगन लाल जी ढोली निवासी बड़ला तह० कोटडी जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. भैरू आत्मज श्री रामनाथ ढोली ,निवासी बड़ला तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राज०)
3. मु० गीता पुत्री श्री रामनाथ ढोली निवासी बड़ला तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राज०)
4. बनवारी आत्मज श्री शंकर बोली आजार संरक्षक पिता शंकर आत्मज श्री बालू ढोली महेशनगर भीलवाडा (राजा)
5. शंकर लाल आत्मज श्री बालू ढोली निवासी महेशपुरा पंचायत गेन्दलिया तहसील मौलवाड़ा जिला भीलवाडा (राजा)
6. पूजा पुत्री शंकर पत्नी श्री राम लाल ढोली निवासी जीवा का खेड़ा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजा)
7. मु० शान्ता पुत्री श्री रामनाथ ढोली निवासी बड़ला तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राज०)
8. मनभर पुत्री श्री रामनाथ ढोली निवासी बड़ला तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राज०)
9. नीतू पुत्री श्री रामनाथ ढोली निवासी बड़ला तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजा)
10. स्यानी पुत्री श्री रामनाथ ढोली निवासी बड़ला तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राज०)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाडा (राज०)
..... प्रतिवादी विपक्षीगण

अपील विरुद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटडी के प्रकरण संख्या 16/2011 आदेश दिनांक 28.05.2015

अधिवक्तागण :–

1. श्री जे सी दाधीच, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. प्रत्यर्थीगण अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 13.1.2026

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण /प्रार्थीगण ने प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने उक्त अनवान एवं तथ्यों का एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जो ठोस तथ्यों एवं कानूनी बिन्दुओं पर आधारित होने से अवश्य ही स्वीकार होगा ।

2. ग्राम बड़ला, तहसील कोटड़ी के बेरून हल्के में आराजी संख्या 485 व 1581/485 रकबा 2 बीस्वा आ.चा. स्थित होकर वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर राजस्व माली कागजात में अभिलिखित चली आ रही है जबकि आराजी संख्या 1581/485 रकबा 2 बीस्वा आ.चा. जो प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण सं. 2 से लगायत 8 के हिस्से में स्थित है जिस पर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 2 से लगायत 8 का कब्जा व दखल व उपभोग चला आ रहा है। जो प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 2 से लगायत 8 की आराजी संख्या 488 में स्थित है लेकिन राजस्व कर्मचारीयो ने मिलीभगत कर विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया जबकि उक्त आ.चा. का निर्माण प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 2 से लगायत 8 ने ही किया एवं राजस्व नक्शे में भी प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण संख्या 2 से लगायत 8 के हिस्से में स्थित है इस हेतु इस बाबत नक्शा दिनांक 12.07.1975 प्रस्तुत किया है लेकिन वर्तमान में राजस्व कर्मचारियों ने मिलीभगत कर विपक्षीगण संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया जो गलत है। उक्त वर्णित आराजियात को आगे प्रार्थनापत्र में विवादित आराजियात से सम्बोधित किया जायेगा ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

3. उक्त वर्णित विवादित आराजी संख्या 1581/485 प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण सं. 2 लगायत 8 की आराजी संख्या 488 में स्थित है जिस पर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 2 से लगायत 8 ही निरन्तर काबिज हो उपयोग उपभोग करता चले आ रहे है विपक्षी सं. 1 को कोई कब्जा व दखल उक्त आ.चा. पर नहीं है व न कभी रहा है बल्कि कब्जा व दखल प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 2 से लगायत 8 का ही हो चला आ रहा है।

4. विपक्षी सं. 1 का विवादित आराजी नं. 1581/485 पर कब्जा नही होकर मात्र दिखावटी तौर पर राजस्व माली कागजात में राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर अपने नाम अभिलिखति करा दिया है जबकि कब्जा व दखल प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण सं. 2 से लगायत 8 का ही है एवं राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित नही होने का फायदा उठाकर विपक्षीगण संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियो ने मिलीभगत कर राजस्व नक्शे में कांट–छाट कर उक्त आ.चा. अपने नाम फर्जी तरीके से करवा लिया जिसे प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 2 से लगायत 8 के नाम आराजी संख्या 488 में दर्ज किया जावें एवं प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 2 से लगायत 8 को उक्त आराजी संख्या 1581/485 आ.चा. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं विपक्षी संख्या 1 का नाम हटाया जावे ।

5. प्रार्थीगण ने विपक्षी सं० 1 को दिनांक 20.07.2008 को विवादित आराजी नं0 1581/485 जो कि आ.वा. है एवं प्रार्थीगण एव विपक्षीगण संख्या 2 से लगायत 8 की आराजी नं. 488 में स्थित है को प्रार्थीगण ने अपने व विपक्षीगण संख्या 2 से लगायत 8 नाम पर खातेदारी हक से अभिलिखित कराने हेतु कहा किन्तु विपक्षी संख्या 1 ऐसा करने से इन्कार कर दिया एवं उक्त गलत तरीके से दर्ज कराये गये आ.चा. को रहन, विक्रय, हस्थानान्तरण आदि करने पर आमादा है जिसका कि विपक्षी संख्या 1 को कोई हक व अधिकार नही है क्योकि उक्त आ.चा. 1581/485 प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 2 से लगायत 8 की आराजी नं. 488 में स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण सं. 2 से लगायत 8 को घोषित किया जावें एवं अस्थायी निषेधाज्ञा से विपक्षी सं. 1 को पाबन्द फरमाया जावें । उक्त आ.चा. नम्बर 1581/485 का रहन विक्रय, हस्थानान्तरण आदि न ही करे व न करावें एवं न प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 2 से लगायत 8 कब्जे उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे व न करावें ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

6. यह है कि खातेदार रामनाथ पिता श्री हजारी ढोली की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया गया है एवं प्रर्थना पत्री नही बनने का विपक्षीगण बनाया गया।

7. अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी सं. 1 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि प्रार्थनापत्र की चरण सं. 2 में वर्णित आराजी नं. 1581/485 रकबा 2 बीस्वा आ.चा. को रहन, बय बख्शीस हस्थानान्तरण आदि नही करे व न करावें एवं न प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 2 से लगायत 8 के कब्जे एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे व न करावें । अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बाद विचारण निर्णय दिनांक 28.5. 2015 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया । जिससे व्यथित होकर यह प्रथम अपील न्याायालय हाजा में प्रस्तुत की गई।

8. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायाालय की पत्रावली तलब की गई एवं प्रत्यर्थीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अभि हाल ही में जब प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपने नाम अवैध तौर पर उक्त आराजी चाह को खाम बोगस, दोराने वाद विकय पत्र के जरिये विक्रय कर दिये जाने से नामान्तरणकरण खोलने हेतू प्रत्यर्थी संख्या 1 एक द्वारा ग्राम पंचायत में आवेदन प्रस्तुत करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा खाता नहीं खोलने हेतू पूर्व में पारित स्थगन आदेश की प्रति की मांग अपीलार्थी दुर्गालाल से करने पर अपीलार्थी दुर्गालाल ने अधिनस्थ न्यायालय में नियुक्त अधिवक्ता से सम्पर्क किया और स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रति दिलाये जाने हेतू निवेदन किया तो अधिवक्ता ने केम्प में पत्रावली जाने के बाद पुनः अदालत द्वारा नयी पेशियों नहीं दिये जाने का कारण बता प्रमाणित प्रति दिलाने में असमर्थता जाहिर की तो अपीलार्थी उन्हें ले कर अदालत में खोज बिन करवायी तो उक्त पत्रावली केम्प में रखायी जा कर प्रकरण का निस्तारण ही दिनांक 28–5–2015 को फैसल करने की जानकारी हुई। इस पर दिनांक 28–1–2016 को ही नकल हेतू आवेदन प्रस्तुत किया गया और उसी दिन प्रमाणित प्रति प्राप्त कर देखने से अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रथम बार दिनांक 28–01–2016 को हुई। इससे पहले अपीलाधीन आदेश की कोई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

17. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि हर एक दृष्टिकोण से अपीलाधीन आदेश केपरीकुअस, आरबीट्री एंव सॉउण्ड ज्युडिसियल प्रींसीपल्स के विपरीत होने से अपीलाधीन आदेश अपास्त होने योग्य हैं। प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य एक सदभाविक विवाद कायम हैं और उक्त विवाद का निस्तारण बाद गहन साक्ष्य के उपरान्त ही किया जा सकता हैं। लेकिन विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में यह वर्णित कर कि प्रतिवादी विपक्षी ने आराजी रजि० विक्रय विलेख से खरीद कर लिये जाने से प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य हैं, गलत हैं। क्योंकि रजि० विकय पत्र किन परिस्थितियों एव किनके द्वारा व कब निष्पादित किया आदि प्रश्न गहन अन्वेषण के प्रश्न हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र का निर्णय वाद के निर्णय की तरह कर दिया है। जबकि धारा 212 का मानस केवल यह है कि दोराने वाद जायदाद की सुरक्षा की जा सके। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त होने योग्य हैं।

18. अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जा कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–5–2015 अपास्त किया जावें और अधिनस्थ न्यायालय में अपेक्षित अनुतोष प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार प्रदान किया जावें। तथा विकल्प में विधि अनुसार प्रकरण को निस्तारित करने हेतू अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें।

19. हमनें अधिवक्ता अपीलार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई कर राजस्व रेकार्ड का विधिवत परीक्षण कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जो उचित है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

आदेश

20. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.5.2015 को यथावत रखा जाता है ।

21. निर्णय आज दिनांक 13.1.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पी0आर0मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा